भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3723

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

राज्य-केंद्र कर राजस्व वितरण में वित्तीय असमानताएं

3723. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में भारी योगदान देने वाले राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु को आबंटित कर राजस्व में से सरकारी हिस्से में कितनी कमी आई है और राज्यों के हिस्से में राज्यवार कितने प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और आपदा प्रबंधन हेतु अल्प निधि के कारण राज्यों पर पड़ने वाले असंगत बोझ से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का समतामूलक राजकोषीय संघवाद और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु द्वारा की गई मांग के अनुसार केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का विचार है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (क) के अनुसार, वित्त आयोग को संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय के वितरण और ऐसी आय से संबंधित हिस्से के राज्यों के बीच आबंटन पर सिफारिश करने का अधिदेश प्राप्त है। इस संबंध में, यह नोट किया जाए कि करों की निवल प्राप्तियों में तमिलनाडु का पारस्परिक हिस्सा 14वें वित्त आयोग के दौरान 4.023% की तुलना में 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट में बढ़ाकर 4.079% कर दिया गया था। ***करों की निवल प्राप्तियों (विभाज्य पूल) में राज्यों के पारस्परिक हिस्से को दर्शाने वाला*** *विवरण* ***अनुलग्नक 1 में दिया गया है।***

संघ और राज्यों का संसाधन मूल्यांकन वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। यह सभी हितधारकों से परामर्श कर रहा है। प्रत्येक राज्य को वित्त आयोग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनाओं और आपदा प्रबंधन संबंधी वित्तपोषण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

***

अनुलग्नक 1

करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों के पारस्परिक हिस्से को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	हिस्सा (%) (15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट) [वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26]	हिस्सा (%) (14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट) [वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20]
आंध्र प्रदेश	4.047	4.305
अरुणाचल प्रदेश	1.757	1.370
असम	3.128	3.311
बिहार	10.058	9.665
छत्तीसगढ	3.407	3.080
गोवा	0.386	0.378
गुजरात	3.478	3.084
हरियाणा	1.093	1.084
हिमाचल प्रदेश	0.830	0.713
झारखंड	3.307	3.139
कर्नाटक	3.647	4.713
केरल	1.925	2.500
मध्य प्रदेश	7.850	7.548
महाराष्ट्र	6.317	5.521
मणिपुर	0.716	0.617
मेघालय	0.767	0.642
मिजोरम	0.500	0.460
नागालैंड	0.569	0.498
ओडिशा	4.528	4.642
पंजाब	1.807	1.577
राजस्थान	6.026	5.495
सिक्किम	0.388	0.367
तमिलनाडु	4.079	4.023
तेलंगाना	2.102	2.437
त्रिपुरा	0.708	0.642
उत्तर प्रदेश	17.939	17.959
उत्तराखंड	1.118	1.052
पश्चिम बंगाल	7.523	7.324
जम्मू एवं कश्मीर*	-	1.854
कुल	**100.00**	**100.00**

** जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अक्टूबर, 2019 से दो संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया था।*

***